(107)

अपील-0333/2019/छिंदवाड़ा/भू.रा.

## समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

रिवीजन

1. देवीकाबाई पति नागोराव चांबोरे उम्र करीब 68 वर्ष
   निवासी– प्लाट नं. 78 दुर्गा नगर नागपुर
   तहसील एवं जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(22)

2. यमुनाबाई पति यादोराव लाखे उम्र करीब 66 वर्ष
   निवासी– अध्यापक नगर, प्लाट नं. 80 नागपुर
   तहसील एवं जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री आर.पी. मिश्रा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
मुख्यालय ग्वालियर (राजस्व मंडल)
06 FEB 2019

.......................... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. पुरूषोत्तम पिता शंकरराव टेकाडे उम्र करीब 50 वर्ष
2. भास्कर पिता शंकरराव टेकाडे उम्र करीब 54 वर्ष
3. विमल बाई पति दौलतराव गिरेउम्र करीब 62 वर्ष
   तीनो निवासी– सातनुर, तहसील सौसंर, जिला छिंदवाड़ा म.प्र.
4. बेबीबाई पति नारायण लोही उम्र करीब 64 वर्ष
   निवासी– पारडसिंगा, तह. सौंसर, जिला छिंदवाड़ा म.प्र.
5. दुर्गाबाई पति दिवाकर ढोक उम्र करीब 60 वर्ष
   निवासी– ब्राम्हणी, तह. कलमेश्वर, जिला नापगुर (महाराष्ट्र)
6. उषाबाई पति मानिकराव जांभले उम्र करीब 58 वर्ष
   निवासी– पिपला केवलराम, तहसील–नरखेड, जिला नागपुर महाराष्ट्र
7. रूखमाबाई पति भिमरावजी गावंडे उम्र करीब 56 वर्ष
   निवासी– साहुर, तहसील– आष्टी, जिला–वर्धा (महाराष्ट्र)

देविकाबाई

.......................... उत्तरवादीगण

## अपील अंतर्गत धारा 44 (3) (ख) म.प्र.भू.रा.संहिता

अपीलार्थीगण की ओर से निम्नानुसार अपील पेश है :–

यमुनाबाई

यह कि, श्रीमान आयुक्त न्यायालय जबलपुर के अपील प्रकरण क्र. 0783/अपील/17–18 पक्षकारगण देवीकाबाई एवं अन्य विरूद्ध पुरूषोत्तम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

**प्रकरण कमांक – 0333/2019/अपील/छिन्दवाड़ा/भू.रा.**

| थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष |
|---|---|---|
| 11-04-19 | यह अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 783/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–9–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत राजस्व मण्डल ग्वालियर में दिनांक 6–2–19 को प्रस्तुत की गई है।<br>2/ अपीलांट्स के अभिभाषक को अपील की ग्राह्यता पर सुनने के उपरांत आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 28–9–18 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार सौंसर व्दारा प्रकरण कमांक 32 अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 26–5–17 के विरूद्व अपीलांट्स ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सौंसर के समक्ष प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय अधिकारी सौंसर व्दारा प्रकरण कमांक 123/16–17 अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–1–18 के विरूद्व आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 783/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–9–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह तीसरी अपील प्रस्तुत हुई है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान नहीं है। हालॉकि अपीलांटस के अभिभाषक ने अपील को निगरानी में बदलकर सुने जाने की प्रार्थना नहीं की है यदि अपील को निगरानी में सुने जाने वावत् विचार किया जाय – म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (यथा सॅशोधन अधिनियम प्रभावशाली दिनांक 25–9–2018) के अनुसार धारा 50 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है– | |

धारा 50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन –

(क) इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरूद्व,

(ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व–

ग्रहण नहीं किया जायेगा।

संहिता में हुये उक्तानुसार सॅशोधन के फलस्वरूप तथा संहिता की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान न होने से अपील अग्राह्य है जो अमान्य की जाती है।

सदस्य